मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण,उ0प्र0

तृतीय तल,अपट्रान भवन, गोमती नगर, लखनऊ

फोन / फैक्स नं0—0522—2308502, 6666192 वेबसाईट—www.upmdm.org ई मेल—lkomdm@gmail.com

संख्याः म0भो0प्रा0 / C-2117 / 2013—14 दिनांक 03/09/2013

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
समस्त जनपद, उ0प्र0।

मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत संविदा के आधार पर जनपद स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय तथा मण्डल स्तर पर मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), कार्यालय में समन्वयक व कम्प्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति एक वर्ष की अवधि के लिये करने के उपरान्त अगले वर्ष इन पदों पर नवीनीकरण अथवा नवीन चयन की आवश्यकता होती है।

समय से नवीनीकरण अथवा नवीन चयन की कार्यवाही न हो पाने पर जहाँ एक तरफ शासकीय कार्य अवरूद्ध होता है, वहीं दूसरी तरफ प्रश्नगत कर्मी अनिश्चितता की स्थिति में रहते हैं, जिसके कारण कई बार रिट याचिकायें भी कर्मियों द्वारा दायर कर दी जाती हैं। निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0 के स्तर से रिट याचिकाओं में पारित आदेशों का निस्तारण करना अपेक्षित हो जाता है, जिनमें कई प्रकरणों में विषम परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। अतः समुचित विचारोपरान्त प्राधिकरण के पत्राँक म0भो0प्रा0 / सी—3026 / 2012—13 दिनांक 27.09.2012 को अतिक्रमित करते हुये निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं:—

1. जिन कर्मियों की सेवायें उपयुक्त न पायीं जायें उनके सम्बन्ध में पत्रावली में साक्ष्य सहित स्पष्ट आंकलन होना चाहिये कि किन परिस्थितियों में उनकी सेवायें उपयुक्त नहीं पायी गयी हैं। वस्तुतः यदि किसी कर्मी की सेवा का नवीनीकरण नहीं किया जाता है तो सेवा समाप्त करने के पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सम्बन्धित कर्मचारी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया है।
2. गम्भीर परस्थितियों / वित्तीय अनियमितता / गम्भीर अनुशासनहीनता की स्थिति में बिना कोई नोटिस के यदि सेवा समाप्त करने की आवश्यकता प्रतीत होती है तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी / मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक),उ0प्र0 द्वारा पुष्टि प्रमाणों सहित स्वतः स्पष्ट प्रस्ताव सम्बन्धित जिलाधिकारी / मण्डलायुक्त को प्रस्तुत किया जायेगा।
3. आगामी वर्षो हेतु नवीनीकरण / नवीन चयन की कार्यवाही प्रत्येक वर्ष संविदा समाप्त होने के पर्याप्त समय पूर्व अवश्य प्रारम्भ की जाय एवं जिलाधिकारी / मंण्डलायुक्त की अनुमति से नवीनीकरण / नवीन चयन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। जिलाधिकारी / मण्डलायुक्त के समक्ष समय से पत्रावली प्रस्तुत करने का दायित्व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी / मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0 का होगा।

4. प्राधिकरण स्तर से पत्र संख्या:15059–15128 दिनांक 23.11.07 के माध्यम से प्रेषित किये गये अनुबन्ध पत्र के आलेख में उल्लिखित टिप्पणी के अनुरूप समन्वयक/कम्प्यूटर ऑपरेटर का चयन/नवीनीकरण एक वर्ष हेतु किया जाय।

भवदीय,

(अमृता सोनी)
निदेशक

<u>पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. समस्त सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0।

(अमृता सोनी)
निदेशक

मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण,उ0प्र0

तृतीय तल,अपट्रान भवन, गोमती नगर, लखनऊ

फोन / फैक्स नं0—0522—2308502, 6666192 वेबसाईट—www.upmdm.org ई मेल—lkomdm@gmail.com

संख्याः म0भो0प्रा0 / C-2117 / 2013—14 दिनांक 03/09/2013

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
समस्त जनपद, उ0प्र0।

मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत संविदा के आधार पर जनपद स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय तथा मण्डल स्तर पर मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), कार्यालय में समन्वयक व कम्प्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति एक वर्ष की अवधि के लिये करने के उपरान्त अगले वर्ष इन पदों पर नवीनीकरण अथवा नवीन चयन की आवश्यकता होती है।

समय से नवीनीकरण अथवा नवीन चयन की कार्यवाही न हो पाने पर जहाँ एक तरफ शासकीय कार्य अवरूद्ध होता है, वहीं दूसरी तरफ प्रश्नगत कर्मी अनिश्चितता की स्थिति में रहते हैं, जिसके कारण कई बार रिट याचिकायें भी कर्मियों द्वारा दायर कर दी जाती हैं। निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0 के स्तर से रिट याचिकाओं में पारित आदेशों का निस्तारण करना अपेक्षित हो जाता है, जिनमें कई प्रकरणों में विषम परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। अतः समुचित विचारोपरान्त प्राधिकरण के पत्रॉक म0भो0प्रा0 / सी—3026 / 2012—13 दिनांक 27.09.2012 को अतिक्रमित करते हुये निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं:—

1. जिन कर्मियों की सेवायें उपयुक्त न पायीं जायें उनके सम्बन्ध में पत्रावली में साक्ष्य सहित स्पष्ट आंकलन होना चाहिये कि किन परिस्थितियों में उनकी सेवायें उपयुक्त नहीं पायी गयी हैं। वस्तुतः यदि किसी कर्मी की सेवा का नवीनीकरण नहीं किया जाता है तो सेवा समाप्त करने के पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सम्बन्धित कर्मचारी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया है।
2. गम्भीर परस्थितियों / वित्तीय अनियमितता / गम्भीर अनुशासनहीनता की स्थिति में बिना कोई नोटिस के यदि सेवा समाप्त करने की आवश्यकता प्रतीत होती है तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी / मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक),उ0प्र0 द्वारा पुष्टि प्रमाणों सहित स्वतः स्पष्ट प्रस्ताव सम्बन्धित जिलाधिकारी / मण्डलायुक्त को प्रस्तुत किया जायेगा।
3. आगामी वर्षो हेतु नवीनीकरण / नवीन चयन की कार्यवाही प्रत्येक वर्ष संविदा समाप्त होने के पर्याप्त समय पूर्व अवश्य प्रारम्भ की जाय एवं जिलाधिकारी / मण्डलायुक्त की अनुमति से नवीनीकरण / नवीन चयन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। जिलाधिकारी / मण्डलायुक्त के समक्ष समय से पत्रावली प्रस्तुत करने का दायित्व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी / मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0 का होगा।

4. प्राधिकरण स्तर से पत्र संख्या:15059–15128 दिनांक 23.11.07 के माध्यम से प्रेषित किये गये अनुबन्ध पत्र के आलेख में उल्लिखित टिप्पणी के अनुरूप समन्वयक / कम्प्यूटर ऑपरेटर का चयन / नवीनीकरण एक वर्ष हेतु किया जाय।

भवदीय,

(अमृता सोनी)
निदेशक

<u>पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. समस्त सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0।

(अमृता सोनी)
निदेशक